

फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (FT) मावली, जिला-उदयपुर

प्रार्थी : श्री भगवानलाल

विपक्षी : राज्य

किस्म मुकदमा - 251 "क" रा.का. अधिनियम

पत्रावली संख्या : 03/21

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पाली तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>दिनांक : 30.12.2021</p> <p>पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान-2021 कैम्प मोरठ में पेश हुई। तहसीलदार मावली से रिपोर्ट प्राप्त की गई। अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रास्ता कायम किया जाने का निवेदन किया। राजपेरोकार द्वारा रिपोर्ट को ही जवाब माना जाकर प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाने का निवेदन किया।</p> <p>प्रकरण के अवलोकन से प्रकरण में प्रार्थी की आराजी नम्बर 1816/553 में आने जाने के लिए विपक्षी की आराजी नम्बर 554 में से होकर 30 फीट चौड़ा रास्ता कायम किया जाने का निवेदन किया है। तहसीलदार मावली द्वारा अपनी रिपोर्ट में बताया कि आराजी नम्बर 554 वर्तमान में बिलानाम होकर किस्म रास्ता है जो प्रार्थी की भूमि से मिला होकर सटमा है इसलिए पहले से ही रास्ता होने से नये रास्ते की आवश्यकता नहीं है।</p> <p>हमने पत्रावली व जमाबन्दी का अवलोकन किया। जमाबन्दी के अवलोकन से आराजी नम्बर 554 किस्म रास्ता दर्ज है। चूंकि वादग्रस्त भूमि में आने जाने के लिए प्रार्थी को रास्ते की आवश्यकता है जबकि तहसीलदार मावली की रिपोर्ट अनुसार आराजी नम्बर 554 की किस्म राजस्व रेकार्ड में रास्ता होकर प्रार्थी की भूमि से सटमा होकर वर्तमान में मौके पर खुला है। उक्त रास्ते से प्रार्थी अपने खेत पर आता जाता है। अतः पूर्व से ही रास्ता दर्ज होने से नये रास्ते को कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है।</p> <p style="text-align: center;">—: : आदेश : :—</p> <p>परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p>निर्णय सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">(मयंक मनीष I.A.S.) सहायक कलक्टर (FT)मावली</p>	

